:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर (म.प्र.) ::

ISO 9001:2008 (Certificate No. QMS/DRS16/M1417)

फोन :- 07325-241000
फैक्स :- 07325-242043

E-Mail: dmburhanpur@nic.in
Website: www.burhanpur.nic.in

।। आदेश ।।

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित)

क्रमांक/न्या.लि./2020/ 3205

बुरहानपुर, दिनांक 03 मई, 2020

देश में कोराना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है ।

2/ अत: मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा करता हूं कि :-

(1) कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा - व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोराना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक तथा उध्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फारवर्डिंग करेगा । पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश दिनांक 04/05/2020 से दिनांक 31/05/2020 तक लागू रहेगा ।

आदेश दिनांक 03/05/2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/न्या.लि./2020/ 3205 बुरहानपुर, दिनांक 03 मई, 2020

प्रतिलिपि :-

1/ आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2/ पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर उक्तानुसार आदेश का अक्षरशः पालन करावें तथा अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें ।

3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर

4/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर

5/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुरहानपुर/नेपानगर

6/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार, ... जिला - बुरहानपुर

7/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुरहानपुर/खकनार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नेपानगर

9/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, शाहपुर

10/ सहायक संचालक, जनसंपर्क, बुरहानपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

11/ सर्वसंबंधित .... जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म.प्र.)